ई-मेल

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1507/नौ–7–22–27(ज0)/2014 टी0सी0

प्रेषक

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2022

विषयः माह अक्टूबर, 2022 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों के कार्य एवं दायित्व के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1413/पॉच–5–2022 दिनांक 12.09.2022 (छायाप्रति मय संलग्नक) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2022 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के तृतीय चरण की गतिविधियॉ पुनः विस्तृत कार्ययोजना बनाकर माह अक्टूबर 2022 **(संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 01 से 31 अक्टूबर तथा दस्तक अभियान दिनांक 07 से 21 अक्टूबर) में सम्पादित की जायेगी।** इसके अतिरिक्त उक्त संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के तृतीय चरण के सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.09.2022 द्वारा विस्तृत दिशा– निर्देश निर्गत किये गये है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 12.09.2022 में प्रश्नगत अभियान हेतु स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण बैठक समस्त नगर निगम हेतु दिनांक 22.09.2022, समस्त नगर पालिका हेतु दिनांक 23.09.2022 एवं समस्त नगर पंचायत हेतु दिनांक 24.09.2022 निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 12.09.2022 द्वारा नगर विकास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैः–

1. नगरीय निकायों के चुने हुये जनप्रतिनिधियों का संचारी रोगों की रोकथाम तथा साफ सफाई के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संवेदीकरण।
2. नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से कोविड तथा संचारी रोगों के विषय में निरंतर जागरूकता बनाये रखना तथा कोविड रोग के लक्षणयुक्त व्यक्तियों को मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
3. शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करवाना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची में उल्लिखित स्थानों पर सघन वेक्टर नियंत्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियॉ सम्पादित कराना।

4. नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्व पेयजल के प्रयोग तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना।
5. खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों/कचरों की सफाई करवाना।
6. उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिये उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाना।
7. हैण्डपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बन्द करना।
8. हैण्डपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सोक–पिट का निर्माण।
9. शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल जॉच।
10. आबादी में मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई (एम0पी0डब्ल्यू0एस0), टैंक टाईप स्टैन्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) की मानको के अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण।
11. जल भराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिये सड़कों तथा पेवमेन्ट का निर्माण करना।
12. सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियो को नियमित रूप से हटाया जाना।
13. शहरी क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को केन्द्रित करना।
14. संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त करना।
15. संवेदनशील क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में विभागीय गतिविधियों की प्रगति आख्या भौतिक प्रगति के अभिलेखीकरण के साथ तैयार करना।

उक्त शासनादेश दिनांक 12.09.2022 द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि उपर्युक्त अभियान हेतु बनायी जाने वाली कार्ययोजना में प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय तथा माह की समाप्ति के उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित रिपोट्र्स में सभी उपलब्धियॉ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शित की जाएँ। साफ–सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुये व्यवहार परिवर्तन तथा प्रचार प्रसार की भी व्यापक योजना बनायी जाय, जिससे जन सामान्य तक सभी जानकारियों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकें।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अपेक्षा के क्रम में एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.09.2022 में दिये गये निर्देशों में अपने से संबंधित समस्त बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा माइक्रोप्लानिंग की पूर्णता, समयबद्धता तथा माइक्रोप्लान्स के अनुसार जनपदों में सम्पादित की जा रही गतिविधियों का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय तथा समस्त जनपदों से साप्ताहिक एवं अभियान समाप्ति तक अंतिम रिपोर्ट प्राप्त कर अन्तर्विभागीय रिपोर्ट के संकलन हेतु संचारी रोग इकाई, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय(ई–मेलआई0डी0–idspup@gmail.com एवं aesjestate@gmail.com) एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, संक्रामक रोग, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
16.09.2022
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1413 / पांच–5–2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन,**
   नगर विकास / पंचायतीराज / बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग / ग्राम्य विकास / चिकित्सा शिक्षा / कृषि विभाग / सिंचाई विभाग / बेसिक शिक्षा विभाग / पशुपालन विभाग / माध्यमिक शिक्षा विभाग / दिव्यांग कल्याण / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / वाणिज्यकर एवं मनोरंजन विभाग / नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभागः 5 लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 2022

विषयः–माह अक्टूबर , 2022 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित एवं सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। विगत चार वर्षों की भाँति वर्ष 2022 में भी संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान संपादित किया जा रहा है। इस क्रम में वर्ष 2022 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के दो चरण प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में माह अप्रैल तथा जुलाई, 2022 में संचालित किये जा चुके हैं। इन अभियानों के तृतीय चरण की गतिविधियाँ पुनः विस्तृत कार्ययोजना बनाकर माह अक्टूबर **(संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनाँक 01 से 31 अक्टूबर तथा दस्तक अभियान दिनाँक 07 से 21 अक्टूबर)** में संपादित की जाएंगी। कार्ययोजना से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देश, समस्त जनपदों हेतु गतिविधियों की समय–सारिणी / बैठक / प्रशिक्षण समय–सारिणी तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियां, विभिन्न विभागों के कार्यो एवं दायित्वों का निर्धारण तथा दिशा–निर्देश, समस्त जनपदों में दस्तक अभियान हेतु दिशा–निर्देश, उत्तर दायित्व निर्धारण तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रारम्भ हेतु चिन्हित गतिविधियां संलग्न हैं।

2– कृपया संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान से संबंधित संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर अन्तर्विभागीय बैठक आहूत कर समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

SANTOSH GO COM-4

संख्याः– 1413 / पांच–5–2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. निदेशक, संक्रामक रोग, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11/03/2022

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

प्रमुख सचिव।

SANTOSH GO COM-4

संलग्नक : 1

सामान्य दिशा–निर्देश

माह जुलाई, 2022 के अभियान की भांति माह अक्टूबर, 2022 में संचालित किये जाने वाले दस्तक अभियान में आशा एवं आंगनवाडी कार्यकर्त्री प्रत्येक मकान पर क्षय रोग के संभावित रोगियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगी तथा क्षय रोग के लक्षणों वाले किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति का नाम पता एवं मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण एक लाइन लिस्टिंग फॉर्मेट में अंकित कर क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध कराएंगी।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से एक्यूट डायरिया के रोगी सूचित हुए हैं, जिसके दृष्टिगत यह भी उचित होगा कि घर–घर भ्रमण करने वाली टीम्स अपने साथ जिंक टैबलेट्स, ओ0आर0एस0 पैकेट्स तथा पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली क्लोरीन की टैबलेट्स भी साथ लेकर चलें ताकि आवश्यकतानुसार इनका वितरण भी जनता को किया जा सके।

इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के अधीनस्थ मलेरिया विभाग के कार्यकर्ता क्षेत्रवार योजना बनाते हुए विगत वर्ष के मच्छर जनित रोगों के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित किए गए हाई रिस्क क्षेत्रों में वेक्टर घनत्व का आकलन भी करेंगे।

फ्रंटलाइन वर्कर्स (आशा एवं आंगनवाडी कार्यकर्त्री) निम्नलिखित सूचियां अपनी रिपोर्ट के साथ प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराएंगे :–

1. बुखार के रोगियों की सूची
2. आई0एल0आई0 (इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस) रोगियों की सूची
3. क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची
4. कुपोषित बच्चों की सूची
5. क्षेत्रवार ऐसे मकानों की सूची जहाँ घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया हो।

माह जुलाई, 2022 के अभियान की भांति **मलेरिया विभाग के कर्मियों द्वारा किए गए वेक्टर घनत्व आकलन तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स के द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान पाए गए ऐसे क्षेत्रों की सूचना जहाँ घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन सूचित हुआ हो, के आधार पर जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा वेक्टर घनत्व के विभिन्न सूचकांकों यथा हाउस इंडेक्स, ब्रेटयू इंडेक्स, कंटेनर इंडेक्स इत्यादि का आंकलन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में यह सूचकांक सामान्य से अधिक पाये गये हों अथवा मच्छरों का सामान्य से अधिक प्रजनन सूचित हुआ हो ऐसे क्षेत्रों की सूची अंतर्विभागीय सहयोग से मच्छर नियंत्रण गतिविधियाँ संपादित करने हेतु नगर विकास, ग्रामीण विकास पंचायती राज इत्यादि सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित विभागों के जनपद तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिक मच्छर घनत्व वाले क्षेत्रों की सूची में अंकित स्थानों पर समुचित वेक्टर नियंत्रण गतिविधियों संपादित की गई हैं। रोग संचरण अवधि में रोगों के अनियंत्रित प्रसार पर नियंत्रण हेतु वेक्टर नियंत्रण से संबंधित सभी गतिविधियाँ सघन रूप से संचालित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वेक्टर नियंत्रण हेतु किए गए समस्त सर्वे तथा अंतर्विभागीय गतिविधियों की सूचना हेतु एक पृथक प्रपत्र इस वर्ष तैयार किया गया है, जिसपर सभी संबंधित विभागों**

द्वारा अपनी कृत गतिविधियों की सूचना अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी।

अभियान हेतु बनायी जाने वाली कार्य योजना में प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए तथा माह की समाप्ति के उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित रिपोट्र्स में सभी उपलब्धियाँ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शित की जाएँ। साफ–सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुए सभी विभाग व्यवहार परिवर्तन तथा प्रचार–प्रसार की भी व्यापक योजना बनाएं जिससे जन–सामान्य तक सभी जानकारियों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

प्रत्येक विभाग के राज्य मुख्यालय द्वारा माइक्रोप्लानिंग की पूर्णता, समयबद्धता तथा माइक्रोप्लान्स के अनुसार जनपदों में सम्पादित की जा रही गतिविधियों का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए तथा समस्त जनपदों से साप्ताहिक एवं अभियान समाप्ति पर अंतिम रिपोर्ट प्राप्त कर अन्तर्विभागीय रिपोर्ट के संकलन हेतु संचारी रोग इकाई, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को मेल आई डी–**idspup@gmail.com** एवं aesjestate@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। **प्रत्येक विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए जो अभियान से सम्बन्धित सभी बैठकों में प्रतिभाग करें।**

विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ कार्यवाही करना आवश्यक है, जिसके लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार जनपद तथा ब्लाक स्तर पर समन्वय समितियों का गठन कर नियमित अंतराल पर विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्य निष्पादन तथा जनपद में विभिन्न रोगों की स्थिति की समीक्षा हेतु इन समितियों की बैठक आयोजित की जानी है। जनपद तथा ब्लाक स्तर पर इन समितियों का स्वरूप, कार्ययोजना तथा बैठकों की आवर्तिता हेतु निर्देश आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

माह अक्टूबर, 2022 के संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 20 सितंबर, 2022 को ब्लॉक स्तर पर संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान हेतु ब्लॉक टास्कफोर्स की बैठक की जाए, जिसमें खंड विकास अधिकारी तथा ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक में सभी विभागों के माइक्रोप्लानिंग फॉर्मेट्स तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अपेक्षित गतिविधियों के विषय में विस्तार से चर्चा की जाए। माइक्रोप्लानिंग फॉर्मेट ब्लॉक स्तर से तैयार कर प्रत्येक विभाग द्वारा जनपद स्तर पर प्रेषित किए जाने हैं जहां विभाग के जनपदीय मुख्यालय पर इनका संकलन कर यह माइक्रोप्लानिंग प्रपत्र प्रत्येक विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।

समस्त जनपदों में प्रथम जनपदीय टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन दिनाँक 22 सितंबर, 2022 को किया जाएगा, जिसमें ब्लाक टास्क फोर्स की बैठक के आयोजन, ब्लाक स्तरीय माइक्रो प्लानिंग फॉर्मेट्स की उपलब्धता एवं पूर्णता, ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की अभियान से सम्बंधित गतिविधियों के विषय में जानकारी तथा अभियान की मॉनिटरिंग की रूपरेखा का आंकलन करते हुए अभियान पर विस्तृत चर्चा की जाए, जिससे अभियान के अपेक्षित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान की एक माह की अवधि के दौरान प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विगत सप्ताह में संपादित की गई गतिविधियों की पूर्णता तथा गुणवत्ता की समीक्षा हेतु अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें सहयोगी संस्थाओं यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, पाथ संस्था इत्यादि के द्वारा की गई मॉनीटरिंग गतिविधियों के समेकित फीडबैक पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी।

अभियान के प्रारम्भ होने के उपरान्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि माइक्रो प्लानिंग फॉर्मेट में तिथिवार एवं क्षेत्रवार जिस प्रकार गतिविधियां अंकित की गई हैं वह उसी प्रकार तिथिवार एवं क्षेत्रवार संपादित की जाए जिससे सभी गतिविधियों की सुचारू रूप से मॉनिटरिंग सम्भव हो सके।

संलग्नक : 2

समस्त जनपदों हेतु गतिविधियों की समय सारिणी
बैठक/प्रशिक्षण समय सारिणी

बैठक/प्रशिक्षण का नाम	दिवस/तिथि	उत्तरदायित्व
राज्य स्तरीय पार्टनर्स बैठक	दिनांक 13 सितंबर, 2022	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय बैठक	दिनांक 14 सितंबर , 2022	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उ0प्र0।
राज्य/ जनपद/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	दिनाँक 16–17 सितंबर, 2021	राज्य मुख्यालय/यूनीसेफ/पाथ/डब्लू0एच0ओ0
ब्लॉक स्तरीय अन्तर्विभागीय बैठकें	दिनाँक 20 सितंबर, 2022	उप–जिलाधिकारी/ ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/खंड विकास अधिकारी
प्रथम जनपद स्तरीय अन्तर्विभागीय बैठक	दिनाँक 22 सितंबर, 2022	जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ब्लाक स्तर पर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण	ब्लाकवार योजना बनाते हुए दिनाँक 23–27 सितंबर, 2022 के मध्य	शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण बैठकें	समस्त नगर निगम :22 सितंबर मार्च, 2022	स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी
	समस्त नगर पालिका : 23 सितंबर, 2022	
	समस्त नगर पंचायत : 24 सितंबर, 2022	
ब्लाक स्तरीय ग्राम प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी संवेदीकरण बैठक	ब्लॉकवार योजना बनाते हुए दिनाँक 23–26 सितंबर, 2022 के मध्य संपादित करा ली जायें।	खंड विकास अधिकारी
विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान हेतु ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय माइक्रोप्लान की उपलब्धता	दिनांक 27 सितंबर, 2022	समस्त विभाग
द्वितीय जनपद स्तरीय अन्तर्विभागीय बैठक	दिनाँक 29 सितंबर, 2022	जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
दस्तक अभियान हेतु ब्लॉक स्तरीय माइक्रोप्लान की उपलब्धता (माह अप्रैल के माइक्रोप्लान पर आधारित)	दिनांक 08 अक्टूबर, 2022	ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी
दस्तक अभियान के संचालन हेतु ब्लॉक चिकित्सालय पर आशा, ए. एन.एम. तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का संवेदीकरण	ब्लॉक वार योजना बनाते हुए दिनाँक 01 अक्टूबर से 05 अक्टूबर, 2022 के मध्य पूर्ण करा लिया जाए।	ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. सभी विभागों द्वारा स्वास्थ्य विभाग (मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय) पर कार्ययोजना जमा कराना : 27.09.2022
2. स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित अन्तर्विभागीय कार्ययोजना यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ.–एन.पी. एस.पी तथा पाथ को उपलब्ध कराना : 28.09.2022
3. संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रारंभ : 01.10.2022
4. दस्तक अभियान का प्रारंभ : 07.10.2022
5. शनिवार तक की गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट का राज्य मुख्यालय प्रेषण : प्रत्येक सोमवार (समीक्षा बैठक में पाई गयी कमियों पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट के साथ)
6. अभियान की सम्पूर्ण माह की रिपोर्ट का राज्य मुख्यालय प्रेषण: 05 नवम्बर, 2022

विभिन्न विभागों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण एवं दिशा–निर्देश

संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए इस विषय पर एक सम्पूर्ण सोच के साथ सम्बन्धित विभागों के मध्य उचित समन्वय का होना आवश्यक है। इस हेतु मुख्य विभागों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं:

1. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार से सम्बन्धित रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों हेतु राज्य, जनपद, ब्लाक तथा पंचायत/ग्राम स्तरों पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हेतु नोडल विभाग का कार्य करेगा।
- संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार केसेज की निगरानी (सर्विलांस)।
- **वेक्टर सर्विलांस गतिविधियां संपादित करना, मलेरिया विभाग के कर्मियों तथा फ्रन्ट लाइन वर्कर्स द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान किए गए सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर वेक्टर घनत्व के आंकड़ों का विश्लेषण कर आकलित वेक्टर सूचकांकों को निरोधात्मक गतिविधियों हेतु समस्त सहयोगी विभागों को उपलब्ध कराना।**
- फ्रंट लाइन वर्कर्स द्वारा उलब्ध कराई गयी लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची में उल्लिखित रोगियों की लक्षण के अनुसार संचारी रोगों अथवा कोविड रोग हेतु जाँच की व्यवस्था।
- फ्रंट लाइन वर्कर्स द्वारा उलब्ध कराई गयी क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची में उल्लिखित रोगियों की लक्षण के अनुसार क्षय रोग हेतु जाँच रोगियों के उपचार की व्यवस्था।
- रोगियों के निःशुल्क परिवहन हेतु रोगी वाहन की व्यवस्था।
- वाहक नियंत्रण गतिविधियॉ–ग्रामीण क्षेत्रों में वाहक के घनत्व का आकलन, स्रोतों में कमी, लार्वारोधी गतिविधियॉ तथा आवश्कयतानुसार फॉगिंग।
- प्रचार–प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ।
- मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, अभिलेखीकरण तथा विश्लेषण।
- न्यूरो–रिहैबिलिटेशन।

2. <u>**नगर विकास विभाग**</u>

- नगरीय निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का संचारी रोगों की रोकथाम तथा साफ़ सफाई के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संवेदीकरण।
- नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समीतियों के माध्यम से कोविड तथा संचारी रोगों के विषय में निरंतर जागरूकता स्थापित रखना तथा कोविड रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करवाना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची मे उल्लिखित स्थानों पर सघन वेक्टर नियंत्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियाँ संपादित कराना।
- नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल के प्रयोग तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना।

- खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों/कचरों की सफाई करवाना।
- उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाना।
- हैण्डपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बन्द करना।
- हैण्डपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सोक–पिट का निर्माण।
- शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल जाँच।
- आबादी में मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई (एम0पी0डब्ल्यू0एस0), टैंक टाईप स्टैन्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) की मानकों के अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण।
- जल भराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों तथा पेवमेन्ट का निर्माण करना।
- सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियॉ को नियमित रूप से हटाया जाना।
- शहरी क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को केन्द्रित करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त (ODF) करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में विभागीय गतिविधियों की प्रगति आख्या भौतिक प्रगति के अभिलेखीकरण के साथ तैयार करना।

3. **पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग**

- **जनसंपर्क तथा जनजागरण :**
- ग्राम प्रधान अपने ग्राम में अभियान के नोडल होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निगरानी समीतियों के माध्यम से कोविड तथा संचारी रोगों के विषय में निरंतर जागरूकता स्थापित रखना तथा कोविड रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- ग्राम स्तर पर साफ–सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई तथा घर से जल निकासी हेतु जन–जागरण के लिये प्रचार–प्रसार।
- वी0एच0एस0एन0सी0 के माध्यम से संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के रोकथाम हेतु ''क्या करें क्या न करें'' का सघन प्रचार–प्रसार किया जाए।

- **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था**
  - उथले हैण्ड पम्पस को लाल रंग से चिन्हित कर जनता को उनका प्रयोग न करने के लिए जागरूक करना।
  - खराब इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं निरन्तर क्रियाशील रखना एवं उसके चारों ओर पक्का चबूतरा बनवाना।
  - सामुदायिक वाटर फिल्टर्स, व्यक्तिगत वाटर फिल्टर्स तथा वाटर पम्पयुक्त टैंक टाइप स्टेण्ड पोस्ट की स्थापना (माइक्रोफाइनेन्स योजनाओं के द्वारा)।
  - पेयजल स्रोतों/संसाधनों से शौचालयों की दूरी के उपाय, शौचालयों/सीवर से पेयजल प्रदूषित न होने देने के लिए आवश्यक उपाय।

- **वेक्टर कंट्रोल**
    - ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा फण्ड से एण्टीलार्वल छिड़काव की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची मे उल्लिखित स्थानों पर सघन वेक्टर नियंत्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियाँ संपादित कराना।
    - जलाशयों एवं नालियों की नियमित सफाई ।
    - अपशिष्ट/रूके हुए पानी तथा मच्छरों के प्रजनन की समस्याओं को रोकने के लिए गड्ढों का भराव तथा मकानों के बीच कंकरीट अथवा पक्की ईंटों वाली सड़कों का निर्माण।
    - झाड़ियों की कांट–छाट का कार्य करवाना।
    - जलाशयों एवं तालाबों से हाईसिन्थ पौधों की सफाई।
- **वातावरणीय स्वच्छता**
    - जल निकासी एवं साफ–सफाई, वाटर सील्ड शौचालयों की आवश्यकता ग्राम स्तर पर कचरा निस्तारण एवं प्रबन्धन व्यवस्था का विकास।
    - संक्रमण तथा जल संदूषण की उत्तरदायी खुली नालियों को ढकना।
    - सभी संवेदनशील ग्रामों में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामों में प्रत्येक मकान में शौचालय का निर्माण कर ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बनाना।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ेदानों की स्थापना में सहयोग।
    - ग्राम स्तर पर ऐच्छिक स्वास्थ्य प्रेरक चिन्हित कर ग्रामवासियों के मार्गदर्शन हेतु इनका स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण सुनिश्चित करवाना।

4. **पशुपालन विभाग**

- **विगत वर्ष तथा पुनः इस वर्ष प्रदेश के अनेक जनपदों में बड़ी संख्या मे डेंगू के रोगी सूचित हुए हैं जिसके प्रसार मे सूकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही पशुओं के मूत्र के द्वारा फैलने वाला लेप्टोस्पायिरोसिस रोग भी अनेक जनपदों से सूचित हुआ है। जिसको देखते हुए अभियान में पशु पालन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।**
- सूकर पशुपालकों को अन्य व्यवसाय जैसे पोल्ट्री उद्योग को अपनाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित करना।
- इसके अतिरिक्त सूकर पालन स्थल पर वेक्टर नियंत्रण एवं सीरो सर्विलेन्स की व्यवस्था करना।
- यथासंभव सूकर बाड़े मनुष्य आबादी से दूर स्थापित करवाना।
- सूकर पालकों को सूकर बाड़े की साफ–सफाई, कीटनाशक छिड़काव एवं मच्छररोधी जाली से ढकने हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
- सभी प्रकार के पशु बाड़ों की स्वच्छता, कचरा निस्तारण तथा मच्छररोधी जाली के प्रयोग हेतु पशु पालकों का गहन संवेदीकरण।

5. **बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग**

    - आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर संवेदीकरण किया जाना।

- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वी0एच0एस0एन0डी0 की बैठक कराने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये टीकाकरण के साथ–साथ कुपोशित बच्चों का चिन्हीकरण एवं पोषाहार वितरण सहित अन्य कार्य पूर्व की भांति कराया जाना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों की सूची बनाकर उनको उचित पोषाहार उपलब्ध कराना तथा आवश्कता होने पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर उपचार तथा पोषण पुनर्वास हेतु भेजना।
- ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से विकलांग कुपोषित बच्चों को अति कुपोषित बच्चों की भाँति पुष्टाहार/टेक–होम राशन उपलब्ध कराना।
- संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार हेतु जन जागरण अभियान यथा दस्तक अभियान में स्थानीय ए0एन0एम0 तथा आशा कार्यकत्रियों को सहयोग करते हुए कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
- विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करना।
- आशा कार्यकत्री द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान हेतु क्षेत्र में सम्पादित की जा रही समस्त गतिविधियों एवं गृह भ्रमण में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा कार्यकत्री के साथ रहते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। इस हेतु आवश्यक निर्देश सभी जनपदों को ससमय प्रेषित कर दिए जाए।

6. **शिक्षा विभाग**

- शिक्षकों द्वारा अभिभावकों का कोविड–19, दिमागी बुखार एवं अन्य संचारी रोगों से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु संवेदीकरण किया जाये, विशेषकर सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच के नुकसान पर जोर दें। हर बुखार खतरनाक हो सकता है, दिमागी बुखार के कारण क्या है, बुखार होने पर **"क्या करें, क्या ना करें"**, के विषय में जागरुक करें।
- क्लोरिनेशन डेमो, पेयजल को उबालना, साबुन से हाथ धोना, शौचालय का प्रयोग इत्यादि के विषय में छात्रों एवं अभिभावकों को जागरुक करना।
- स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों का उनके मासिक बैठक में दिमागी बुखार एवं अन्य संचारी रोगों पर संवेदीकरण करें।
- शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकों के वितरण के समय अभिभावकों का संवेदीकरण किया जायेगा।
- पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतिस्पर्धा, निबंध लेखन इत्यादि माध्यमों से छात्रों को रोगों से बचाव, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में सक्रिय सहभागिता के साथ जागरूक करना–शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों का संचालन।
- संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार से बचाव संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री को स्कूल में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना।
- छात्रों की गतिविधियों में उनके अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु इस अभियान हेतु छात्रों को दिए गए असाइनमेंट्स यथा पोस्टर, निबंध इत्यादि पर

अभिभावकों से भी दो पंक्तियों की टिप्पणी लिखने का आग्रह किया जाए।

7. **चिकित्सा शिक्षा विभाग**

- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर तथा किंग जार्ज चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 के सफल संचालन के लिये जनपदों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं स्टॉफ नर्सेज को तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की प्रयोगशाला जाँच हेतु प्रयोगशाला प्राविधिक को प्रशिक्षित किया जाना।
- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों के उपचार हेतु मानव संसाधन एवं उपकरणों की उपलब्धता व प्रयोगशाला में ए0ई0एस0 रोगियों के विभिन्न कारकों की जांच हेतु सुदृढ़ीकरण किया जाना।
- राज्य स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्य के रूप में आउट ब्रेक रिस्पांस तथा नीति निर्धारण में सहायता।
- **समस्त चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में विभिन्न संचारी रोगों की जाँच तथा मरीजों की संख्या में वृद्धि की स्थिति हेतु सर्ज कैपेसिटी की व्यवस्था।**
- **प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में सूचित होने वाले संक्रामक रोगियों की सूचना इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों/पोर्टल के माध्यम से जपदीय सर्विलांस इकाई के माध्यम से राज्य सर्विलांस इकाई को उपलब्ध कराना, इस हेतु संस्थान में चिकित्सालय तथा प्रयोगशाला स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक प्रपत्रों पर प्रतिदिन रिपोर्ट प्रेषित की जाए**

8. **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**

- ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के उपरान्त दिव्यांग हुए बच्चों का सर्वे जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी द्वारा करवाया जाना।
- जनपद स्तर पर स्थापित डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेन्टर का सुदृढ़ीकरण किया जाना जिससे इन विकलांग बच्चों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे अन्य शिक्षा संस्थानों में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- विकलांग बच्चों हेतु आवश्यक सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

9. **कृषि एवं सिंचाई विभाग**

- **विगत वर्ष तथा पुनः इस वर्ष प्रदेश के अनेक जनपदों में लेप्टोस्पायिरोसिस तथा स्क्रब टाईफस के रोगी संसूचित हुए हैं, जिसको देखते हुए अभियान में कृंतक नियंत्रण (कृषि विभाग) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।**
- जमे हुए पानी में मच्छरों के प्रजनन को रोकने तथा सिंचाई के वैकल्पिक उपायों पर अपनी तकनीकी सलाह देना।
- मच्छर रोधी पौधों का उगाया जाना।
- विभागीय पौधशाला से पौधे तथा बीज उपलब्ध कराना (नवीन फसलें तथा मच्छर रोधी पौधे)।
- खेतों में कृंतक नियंत्रण के प्रभावी एवं सुरक्षित उपाय बताना।
- नहरों तथा तालाबों के किनारे उगी वनस्पतियों को प्रत्येक पखवाड़े हटाना।
- कृषि–मित्रों इत्यादि लिंक कार्यकर्ताओ की मदद से उपरोक्त गतिविधियों के संचालन के निरीक्षण में मदद उपलब्ध कराना।

- खेतों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने/कम करने हेतु नई तकनीकों के प्रयोग के लिए मदद उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के निकट नहरों में जल–क्षरण की मरम्मत करना ताकि मच्छर के प्रजनन के स्थान कम से कम रहें।

10. **सूचना विभागः** सभी स्तरों पर विभिन्न विभागों से नियमित संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा गतिविधियों का विभिन्न सूचना माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार।
11. **उद्यान विभाग** : सार्वजानिक उद्यानों एवं विद्यालयों में मच्छर विकर्षी पौधों का रोपण।

उपरोक्त सभी विभागों को उनके द्वारा "**संचारी रोग नियंत्रण अभियान–माह अक्टूबर, 2022**" में किये जाने वाले कार्यों की ग्रामवार माहवार कार्ययोजना तैयार कर ब्लाक तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति में प्रस्तुत कर **ब्लॉक/जनपद स्तरीय समेकित कार्ययोजना** तैयार की जानी है जिसकी प्रगति की समीक्षा **प्रत्येक शनिवार अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठकों** में की जाएगी। **विभागवार लक्ष्य के सापेक्ष शनिवार तक की गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट का राज्य मुख्यालय पर प्रेषण प्रत्येक सोमवार (समीक्षा बैठक में पाई गयी कमियों पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट के साथ) किया जायेगा। लक्ष्य के सापेक्ष अभियान की सम्पूर्ण माह की रिपोर्ट का राज्य मुख्यालय पर प्रेषण 05 नवम्बर, 2022 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा।**

अभियान हेतु समस्त विभागों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले माइक्रो प्लानिंग तथा रिपोर्टिंग प्रपत्र संलग्न हैं।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपर्लिखित तालिका के अनुसार विभिन्न बैठकों एवं प्रशिक्षणों **आयोजन करते हुए दिनांक 27 सितंबर, 2022, तक सभी विभागों के जनपदीय तथा ब्लॉक स्तरीय माइक्रो प्लान मुख्य चिकित्साधिकारी एकत्र कर यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ.–एन.पी.एस.पी तथा पाथ को दिनांक 28 सितंबर, 2022 तक उपलब्ध करा दिए जाएँ** ताकि सभी विभागों की गतिविधियों का कार्य योजना के सापेक्ष पर्यवेक्षण इन एजेंसीज के माध्यम से कराया जा सके। कार्य योजना की सॉफ्ट कॉपीज़ तैयार करवाकर राज्य मुख्यालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक जन–जागरूकता हेतु दस्तक अभियान का प्रथम चरण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर–घर जाकर इन बीमारियों के बचाव तथा उपचार के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी देंगे तथा अन्य सभी विभाग अपनी–अपनी सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करेंगे।

अभियान की समाप्ति के उपरान्त समस्त विभागों का लक्ष्य के सापेक्ष गतिविधि विवरण तथा एक्शन टेकेन रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित किये जाने हैं अतः समयबद्धता तथा रिपोर्ट की पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

समस्त जनपदों में दस्तक अभियान हेतु दिशा–निर्देश

प्रदेश के समस्त जनपदों में दिमागी बुखार, कोविड–19 एवं अन्य संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में व्यापक जन–जागरूकता हेतु दिनांक 07 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2022 के मध्य दस्तक अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर–घर जाकर इन बीमारियों के बचाव तथा उपचार के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी देंगे। समस्त जनपदों में संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समस्त अन्तर्विभागीय गतिविधियाँ यथावत जारी रहेंगी। जिनके साथ–साथ आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा गृह भ्रमण कर विशेष सावधानियां बरतते हुये कोविड–19, दिमागी बुखार से बचाव तथा इसके उपचार के विषय में स्वास्थ्य शिक्षा तथा आवश्यक जानकारी देते हुये जन–जागरूकता का कार्य भी किया जायेगा।

जैसा कि आप अवगत है कि दस्तक एक व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति है, जो लोगों को बचाव और सही समय पर उपचार के संदेश पहुंचा कर उन्हें दिमागी बुखार की समस्या को निपटाने के लिये प्रेरित करेगी। **दस्तक का शाब्दिक अर्थ है "दरवाजा खटखटाना"।**

इस अभियान के जरिये दिमागी बुखार सम्बन्धित शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन के संदेश गाँव के हर एक घर और परिवार तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। यह जानकारी देनी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ताकि वे समय रहते सही उपाय अपनाने के लिये जागरूक बने। अभियान को प्रभावी बनाने में क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनबाड़ी, ए0एन0एम0, स्कूल शिक्षक और ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका है। इस अभियान में बुखार के रोगियों का निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में त्वरित तथा सही उपचार कराऐ जाने पर विशेष बल दिया जाना है।

आशा कार्यकर्त्रियों की इस अभियान में सहभागिता सुनिश्चितीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का न्यूनतम 10 प्रतिशत सत्यापन जनपद स्तर पर डी0सी0पी0एम0 तथा ब्लाक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 का उत्तरदायित्व होगा।

दस्तक अभियान में आशा की भूमिका

दिमागी बुखार एवं अन्य संक्रामक रोगों सम्बन्धित जागरूकता बढ़ाने और बचाव और उपचार संदेश के प्रसार में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह समुदाय को संवेदीकृत करने और कोविड–2019, ए0ई0एस0/जे0ई0 से बचाने के लिये बेहतर व्यवहारों को अपनाने के लिये प्रेरित करेगी।

- आशा ब्लॉक स्तरीय बैठकों/प्रशिक्षण में सोशल डिस्टेन्सिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये प्रतिभाग करेंगी।
- प्रशिक्षण के उपरान्त आशा से अपेक्षित है कि वह हर घर तक पहुंचे, परिवारों से सम्पर्क करें और मुख्य संदेश प्रसारित करें।
- गृह भ्रमण का ट्रैक रखने के लिए और अपने गृह सम्पर्क दर्शाने के लिये वह घर में (जिनमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे अथवा क्षय रोग के लक्षणों वाले व्यक्ति पाए जाएँ) प्रमुख जगह पर स्टीकर (दिया जायेगा) लगायेगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि घर के सदस्य किसी भी बुखार के समय नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सम्पर्क करें।

- संदेश प्रसारित करने के लिये घर–घर सम्पर्क करने के साथ आशा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर होने वाले गतिविधियों में सहयोग करेंगी, जैसे मातृ समूह की बैठक का आयोजन, समय–समय पर स्कूल का भ्रमण और शिक्षकों को बच्चों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना, दिमागी बुखार पर स्वयं सहायता समूहों की बैठक कराना, मातृ बैठकों का आयोजन, वीएचएसएनसी बैठकों का आयोजन एवं पेय जल को साफ करने के लिये क्लोरिनेशन का डेमो आयोजित करना यह सब उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है।
- आशा दस्तक अभियान की ग्राम स्तर की गतिविधियों की योजना बनायेगी।
- आशा अपनी योजना ए0एन0एम0 के साथ साथ ब्लाक चिकित्सालय पर साझा करेंगी। यह योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा को दिये गये प्रारूप में बनायी जायेगी। सही तरीके से प्रारूप भरने के बाद आशा उसे ए0एन0एम0 को समय से जमा (बैठक में तय की गई तिथि तक) करेंगी।
- दस्तक अभियान के दौरान, आशा अपने किये गये कार्यों की सूचना प्रतिदिन भर कर ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराएगी।
- वाहक नियंत्रण गतिविधियाँ–ग्रामीण क्षेत्रों में वाहक के विषय में जनता को जागरूक करना, मच्छरों के प्रजनन के अनुकूल परिस्थितियों की जाँच करना।
- क्षेत्रवार ऐसे मकानों की सूची तैयार करना जहाँ घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया हो।
- माह जुलाई 2022 के दस्तक अभियान के समान माह अक्टूबर, 2022 के दस्तक अभियान में भी फ्रंट लाइन वर्कर्स (आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों) प्रत्येक मकान पर क्षय रोग के संभावित रोगियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगी तथा क्षय रोग के लक्षणों वाले किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर इस व्यक्ति का नाम पता एवं मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण एक लाइन लिस्टिंग फॉर्मेट में अंकित कर क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध करायेंगी।

- **प्रदेश के विभिन्न जनपदों से निरंतर एक्यूट डायरिया के रोगी सूचित हुए हैं जिसको दृष्टिगत करते हुए यह भी उचित होगा कि घर घर भ्रमण करने वाली टीम्स अपने साथ जिंक टैबलेट्स, ओ0आर0एस0 पैकेट्स तथा पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली क्लोरीन की टैबलेट्स भी साथ लेकर चलें ताकि आवश्यकतानुसार इनका वितरण भी जनता को किया जा सके।**

फ्रंट लाइन वर्कर्स (आशा एवं आंगनवाडी कार्यकर्त्री) निम्न सूचियां अपनी रिपोर्ट के साथ प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध कराएंगे :–

1. बुखार के रोगियों की सूची
2. आई0एल0आई0 (इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस) रोगियों की सूची
3. क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची
4. कुपोषित बच्चों की सूची
5. क्षेत्रवार ऐसे मकानों की सूची जहाँ घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया हो

इस हेतु आशा/आंगनबाड़ी अद्यतन रिपोर्टिंग प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन समस्त कार्यों हेतु आशा अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग प्राप्त करेंगी।

संलग्नक : 5

उत्तरदायित्व निर्धारण

संचारी रोग नियंत्रण माह में जन–जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नवत उत्तरदायित्व निर्धारित किये गए हैं :–

खण्ड विकास अधिकारी की भूमिका

ब्लॉक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधानों/ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करेंगे :–

1. समस्त 75 जनपदों के समस्त विकास खण्डों पर दिनाँक 23–26 सितंबर, 2022 के मध्य ग्राम प्रधानों/ग्राम विकास अधिकारियों की विशेष मासिक बैठक आयोजित कर प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे तक का समय संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों/ग्राम विकास अधिकारियों के संवेदीकरण हेतु रक्षित कर इसमें ग्राम विकास अधिकारियों की शत–प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
2. समस्त सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी को क्षेत्र आवंटित कर दस्तक अभियान के सन्दर्भ में उनके क्षेत्र में किये गये कार्य की समीक्षा करेंगे।
3. समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम स्तर पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों यथा–साफ–सफाई, जन–जागरुकता, हैण्डपम्प/हैण्डपम्प प्लेटफार्म की मरम्मत, उथले हैण्डपम्पों का चिन्हिकरण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करना, अध्यापकों द्वारा अभिभावकों व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा दिमागी बुखार/संचारी रोगों के कारणों तथा बचाव के उपायों से अवगत कराने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करना, फॉगिंग, लार्वीसाइडल स्प्रे, ए0ई0एस0 के कारण विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण कर उनको सहायता/उपकरण उपलब्ध करान आदि हेतु निर्देशित कर उनके द्वारा ग्राम स्तर पर सम्पादित कराये गये कार्य की समीक्षा कर आख्या ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से समन्वय समिति को उपलब्ध करायेंगे।

शिक्षकों की भूमिका–स्कूल स्तर पर की जाने वाले गतिविधियां

- शिक्षक दिमागी बुखार, कोविड–19 एवं अन्य संचारी रोगों से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु अभिभावकों को संवेदीकृत करेंगे तथा सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच के नुकसान पर जोर देंगे तथा हर बुखार खतरनाक हो सकता है, दिमागी बुखार के कारण क्या है, बुखार होने पर "क्या करें, क्या ना करें", के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे।
- क्लोरिनेशन डेमो, पेयजल को उबालना, साबुन से हाथ धोना, शौचालय का प्रयोग इत्यादि के विषय में छात्रों एवं अभिभावकों को जागरुक करना।
- स्कूल प्रबन्धन समीति के सदस्यों का उनकी मासिक बैठक में दिमागी बुखार एवं अन्य संचारी रोगों पर संवेदीकरण करें।
- शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकों के वितरण के समय अभिभावकों का संवेदीकरण किया जायेगा।
- पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतिस्पर्धा, निबंध लेखन इत्यादि माध्यमों से छात्रों को रोगों से बचाव, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में सक्रिय सहभागिता के साथ जागरूक करना–शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों का संचालन।
- संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार से बचाव संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री को स्कूल में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रारम्भ हेतु चिन्हित गतिविधियाँ

जनसामान्य में अधिकतम प्रभाव के लिए सभी गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा दिनांक **01 अक्टूबर, 2022** से अभियान को प्रारम्भ किया जाए। अभियान का लॉन्च करने हेतु जनपद, ब्लाक एवं ग्राम,समस्त स्तरों पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाए तथा सभी सरकारी विभाग इस हेतु अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों की सूचना दिनाँक 29 सितंबर को आयोजित द्वितीय अंतर्विभागीय बैठक में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

समस्त सरकारी कार्यालयों में विभागाध्यक्ष, विद्यालयों में अध्यापक, नगरीय निकायों में कार्यकारी अधिकारी तथा ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं रोगों से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाने हेतु जागरुक करें।